कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर भोपाल में कार्यरत/पदस्थ अधिकारियों के लिए शासकीय कार्य के लिए निजी किराये के वाहनों की आवश्यकता है।

कार्यालय कलेक्टर भोपाल में पदस्थ अधिकारियों के लिए शासकीय कार्य के लिए निजी ट्रेवल्स से वाहन लेने हेतु दिनांक 31/10/2019 को कार्यालयीन समय सांय 03.00बजे तक सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें 31.10.2019 को उपस्थित निविदाकारों के समक्ष 03:30 बजे सभा कक्ष में खोली जावेगी।

1. निविदा के साथ रूपये 25,000/-(पच्चीस हजार) का डिमांड ड्राफट सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना आवश्यक होगा।
2. निविदा की शेष शर्ते व विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं कार्य दिवस में सभा कक्ष कलेक्टर कार्यालय भोपाल से या एन.आई.सी. भोपाल की साईट https://bhopal.nic.in ~~www.nic.bhopal.in~~ से प्राप्त की जा सकती है।

   निविदा प्रपत्र रूपये 1,000/-(रूपये एक हजार केवल) का भुगतान कर कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल से प्राप्त कर सकते है।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते-कलेक्टर भोपाल

कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर भोपाल पदस्थ अधिकारियों के लिये निजी ट्रेवल्स ऐजेन्सी से वाहन किराये पर लिये जाने हेतु मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिए निम्न शर्तो के अधीन निविदाएं आमत्रित की जाती हैः–

1– निविदाकर्ता/फर्म का पंजीयन ट्रेवल ऐजेंसी के रूप में एवं वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

2– निविदाकार/फर्म के रूप में पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निविदाकार/फर्म के नाम पर कम से कम 10 टैक्सी कोटे के वाहन पंजीकृत होना चाहिए।

3– निविदाकर्ता/फार्म का विगत तीन वर्ष में कम से कम रूपये 2.50 लाख का सर्विस का टेक्स प्रतिवर्ष जमा किया होना चाहिए।

4– निविदाकर्ता/फर्म का स्वंय को आवंटित पैन (PAN) नम्बर सबंधी पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगी।

5– निविदाकर्ता/फर्म को निविदा के साथ जी.एस.टी. पंजीयन संबधी प्रमाण पत्र तथा अद्यतन स्थिति (निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक) में अदेयता सबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

6– निविदाकर्ता/फर्म को निविदा प्रस्तुत करते समय सुरक्षा निधि के रूप में राशि रूपये 25,000/–(पच्चीस हजार) मात्र का डिमांड ड्राफट जमा किया जाना अनिवार्य है।

7– निविदाकार द्वारा पूर्व में या वर्तमान में किसी शासकीय/अर्द्वशासकीय कार्यालय में अनुबन्धित वाहन सेवा उपलब्ध कराई गई हो/जा रही हो तो कार्यालय प्रमुख का कार्य संतुष्टि संबधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।

8– अपूर्ण, अहस्ताक्षरित एवं सुरक्षा निधि के बिना प्रस्तुत निविदा अमान्य होगी।

9– किराये पर लगाये जाने वाले वाहन का पंजीयन वर्ष 2018 से पूर्व का नहीं होना चाहिये।

10– अधिकतम 06 वाहन किराये पर लिये जाना है। वाहन डीजल चलित हो। वाहन के लिये ईधन (डीजल) कार्यालय द्वारा प्रदाय किया जावेगा, अतः वाहन की लागबुक हमेशा वाहन के साथ अद्यतन स्थिति में रखना होगी तथा माईलोमीटर चालू हालत में होना चाहिए।

11– किराये की अवधि में वाहन के संधारण में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को वाहन प्रदाता द्वारा स्वंय वहन करना होगा, जिसमें वाहन चालक का पारिश्रमिक/वेतन/मरम्मत आदि भी शामिल है।

12– वाहन प्रदाता को वाहन के काम्प्रीहेन्सिव, बीमा, रजिस्ट्रेशन सहित समस्त अनिवार्य अभिलेख अद्यतन स्थिति में हमेशा वाहन के साथ रखना होगें।

13– किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन प्रदाता पूर्णतः जवाबदार होगा। वाहन से संबधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर निराकरण या वैधानिक क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।

14– वाहन हेतु नियत किराये से नियमानुसार 2 प्रतिशत जी.एस.टी. काटा जायेगा।

15– प्रदत्त वाहन का माडल बोलेरो अथवा उसके समकक्ष अर्थात् उसके मूल्य के बराबर का होना चाहिए। वाहन ग्रामीण अंचलों के रास्तों में सुरक्षित चलने योग्य होना आवश्यक है।

16– वाहनों की स्थिति व रख रखाव उत्तम श्रेणी का हो। आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय ध्वज/डेंजर लाईट/सीट कव्हर इत्यादि प्रदाय करना होंगे।

17– वाहन चालक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति न हो, उसके पास कार्मिशयल वाहन चालक का वैध लायसेंस हो। वाहन चालक को हमेशा स्वरूछ वर्दी में रहना होगा। वाहन चालक को वर्दी के साथ–साथ नाम पटि्टकायुक्त (जिसमें लायसेंस का नंबर अंकित हो) ओवर कोट वाहन प्रदाता द्वारा प्रदाय करना होगा।

18– वाहन की यात्रा वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित की जावेगी। वाहन मय वाहन चालक के प्रभारी अधिकारी/संबधित अधिकारी के नियंत्रण में रहेगा तथा शासकीय कार्य उपरांत वाहन अधिकारी के निवास/गैरिज पर रखना होगा।

19– वाहन अल्पावधि सूचना पर भी वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। मांग किए जाने के एक घण्टा के अंदर वाहन निर्धारित स्थान पर पहुचाना होगा।

20– वाहन उपयोग के समय किसी तकनीकी खराबी होने के कारण यदि आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग करने में बाधा आती है तो वाहन प्रदाता को अन्य वाहन की तत्काल व्यवस्था करना होगी।

21– वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर के उपयोग में न्यूनतम दूरी इत्यादि का कोई बंधन नहीं रहेगा।

22– मार्ग में वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन के खराब होने के स्थान से गैरेज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा।

23– निविदा स्वीकृत होने पर किराए पर वाहन प्रदाय संबधी निविदा की शर्तो के अनुरूप कार्यालयीन आदेशानुसार रूपये 1,000/– रूपये (एक हजार मात्र) के स्टाम्प पर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।

24– निविदा स्वीकृत होने पर प्रति वाहन रूपये 25,000/–(रूपये पच्चीस हजार मात्र) की दर से परफोरमेंस सिक्यूरिटी राशि जमा करना होगी, जो अनुबन्ध अवधि सफलतापूर्वक समाप्त होने पर वापसी योग्य होगी। शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में परफोरमेस सिक्यूरिटि राशि राजसात कर ली जावेगी।

25– सफल निविदादाता को एक वर्ष तक के लिए कार्यादेश दिया जावेगा। सेवायें संतोषजनक पाए जाने पर आवश्यकतानुसार समान दरों पर आगामी एक वर्ष के लिए अनुबन्ध विस्तारित किया जा सकता है।

26– निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने के कलेक्टर, जिला भोपाल को सम्पूर्ण अधिकार है।

27– निविदा संबधी किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद कलेक्टर, जिला भोपाल को संदर्भित किया जावेगा तथा उनके द्वारा पारित आदेश उभयपक्षों को मान्य होगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	अपर कलेक्टर
सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	जिला–भोपाल